THE
PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT
IN THE HUNDRED AND FIFTEENTH SESSION OF THE RAJYA SABHA
*Commencing on the 23rd July, 1980/the 1st Sravana 1902 (Saka)*



# RAJYA SABHA

*Wednesday, the 23rd July, 1980/the 1st Sravana, 1902 (Saka).*

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, before you call the question, I have to raise a point regarding the privilege of Members. Sir, we were to have submitted our questions for today by the 11th according to the time-table. But the Summonses were not received by the 11th....

MR. CHAIRMAN: Please listen. Question time is a valuable right of the Members. After the question time, you raise this point. I want to cover as many questions as I possibly can.

Question No. 1.

**Sugar Price Determination Order, 1979-80**

*1. SHRIMATI AMARJIT KAUR:
SHRI RAMANAND YADAV:†
SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the number of sugar mills which had challenged the Sugar Price Determination Order, 1979-80 in Courts and what is the range of interim price granted to them by various High Courts after the issuance of stay orders;

(b) what is the cost of production of sugar manufactured by such mills during the year 1979-80; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramanand Yadav.



(c) whether Government are taking into account the cost of production of sugar manufactured by the mills for fixation of levy sugar price?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (RAO BIRENDRA SINGH): (a) 217 sugar mills have challenged the Sugar (Price Determination for 1979-80 Production) Order, 1979, dated the 17th December, 1979, by filing writ petitions in various High Courts. The interim prices allowed by various courts pending disposal of the petitions range from Rs. 251 to Rs. 397.13 per quintal as against the notified prices ranging from Rs. 212.58 to Rs. 278.36 per quintal.

(b) The all-India weighted average of the cost of production of sugar, including reasonable return, for the year 1979-80 is Rs. 256 per quintal. The range in the different zones is from Rs. 208.45 to Rs. 312.75 per quintal.

(c) Yes, Sir.

**श्री रामानन्द यादव** : सभापति जी, सरकार ने 65 परसेंन्ट शुगर के प्रोडक्शन पर लेवी प्राइस फिक्स किया है। सरकार द्वारा जो लेवी प्राइस फिक्स हुआ है वह अधिक हैं फिर भी मिलमालिकों ने उसके खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्टों में रिट दाखिल किया है, और स्टे मिल गया है। स्टे मिलने से सभापति जी, मिलमालिकों को फायदा हुआ हैं, अब कन्ज्यूमर से पैसा अधिक वसूल किया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि इतने पर तुम बेचोगे जो हाईकोर्ट ने प्राइसेज फिक्स किये है डिफरेन्ट स्टेट्स में वे सरकार द्वारा निर्धारित प्राइस से अधिक हैं। आज मिलमालिक कन्ज्यूमर्स से यह अधिक पैसा वसूलते हैं और यह पैसा कहाँ जमा होता हैं इसकी यह गारण्टी नहीं कि यह जो

अधिक पैसा जमा करते है, अगर कहीं रिट खारिज भी हो जाये कुछ दिनों बाद सरकार के प्रयास से या हाईकोर्ट में--और आप जानते हैं कभी कभी रिट 10 वर्ष तक चलता रहता है और उसमें एक राहत मिल जाती है--और इस प्रकार यह मिल-मालिकों का जो गरीबों का, उपभोक्ताओं का शोषण करने का एक जरिया बन गया है, वह पैसा वसूल करके कहाँ जमा करते हैं यह निश्चित नहीं है और वह पैसा जो उपभोक्ता से अधिक लिया जा रहा है वह मिलेगा कि नहीं और व्यापारी भी जो कि डाइरेक्ट मिलों से उठाते हैं वे भी अधिक पैसा जमा करते हैं, लेवी से आधा, क्या वह पैसा भी उस व्यापारी को रिटर्न होगा रिट के वेकेट होने की स्थिति पर इसकी संभावना है नही। तो मैं जानना चाहता हूं कि मिलमालिकों ने यह जो हथकंडा जनता के शोषण का अख्तियार किया है क्योंकि चीनी इतनी महंगी हो गई है और चीनी के माध्यम से मंहगाई बढ़ गई है जिसका फायदा ये मिलमालिक उठा रहे है, तो हाईकोर्ट में जो रिट हुआ है उस को वेकेट करने के लिये सरकार ने कौन सा कदम उठाया है।

दूसरे, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो पौइन्ट में जहाँ लैक्यूना है जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने स्टे किया है क्या इस संबंध में कानून में अमडमेंट करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको वेकेट करने के लिये जल्द से जल्द कदम उठाया जा सके?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : जनाब, पहले तो आनरेबिल मेम्बर को मैं यह बताना चाहूंगा कि यह लेवी शुगर की प्राइस के मुताल्लिक सवाल है और लेवी शुगर 2 रुपये 85 के उपर, एक ही भाव पर, सारे मुल्क में तक्सीम हो रही है। इस में उपभोक्ताओं के ऊपर कोई फालतू बोझ नहीं पड़ रहा उन को कोई ज्यादा पैसा नही देना पड़ रहा। इसी तरह से व्यापारियों को भी कोई ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। क्यों कि लेवी शुगर सरकार की एजन्सीज़ लेती है और वही तकसीम करती है।

**श्री रामानन्द यादव** : श्रीमन्.....

**राव बीरेन्द्र सिंह** : समझ गये या और समझाएं।

**श्री रामानन्द यादव** : आप क्या समझायेंगे मैं आप को समझाऊंगा, अभी 12 बजने में देर है।

**श्री सभापति** : राव साहब मैं न समझूं तो भला क्या कोई समझाये मुझ....

**राव बीरेन्द्र सिंह** : दूसरा सवाल आनरेबिल मेम्बर ने किया कि हाई कोर्टस ने जो आर्डर पास कर रखे है उन क मुताल्लिक सरकार क्या कार्यवाही कर रही है' हम ने तो अपने वकीलों को इंस्ट्रक्शन्स द दिये हैं कि जल्दी से जल्दी इनके फैसले कराए जाएं जहाँ देर लग रही है हाई कोर्टस में। अब हम ने यह तजवीज की है कि सारे हाई कोर्टस में इन मुकदमों को उठा कर हम सुप्रीम कोर्ट में ले जायें ताकि उस का जल्दी फैसला हो और आखिरी फैसला हो जायेगा तब पता लग जायेगा कि लेवी शुगर की क्या प्राइस तय हुई है। उस के मुताबिक मिलों ने ज्यादा ले लिया है तो वह वापस मिल जायेगा। वह यूटिलाइजेशन फंड के अन्दर जमा हो जायेगा और फिर वह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जायेगा उन स्टेटों को जिन्हों ने फालतू पैसा दे कर चीनी उठाई।

**श्री रामानन्द यादव** : सभापति जी, सरकार का पैसा, ऐसा मालूम होता है, जनता का पैसा नहीं है। अल्टीमेटली वह

पैसा कहाँ जा कर गिरेगा ? मंत्री जी भी जानते हैं कि उस का बोझा कहाँ पड़ेगा। वह स्टेट की गवर्नमेंट पर पड़ेगा जिस ने लोगों से इकट्ठे किये हुए रेवेन्यू से निकाल कर ज्यादा दाम दिया है। इसलिये इस का भार जनता पर पड़ेगा यह मंत्री जी को समझना चाहिये।

दूसरे सरकार ने लेवी शुगर की जो प्राइस फिक्स की है उस की कास्ट आफ प्रोडक्शन, सेलरी, लागत, मशीनरी,-सारी चीजों को देख कर की जाती है। लेकिन यह मिल के शुगर प्रोडक्शन के साथ होता है। किसानों की केन की प्राइस फिक्स कैसे की जाती है? किसान का इनपुट बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ गया है, लोहे का बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ गयी है, वाटर रेट बढ़ गया है, बिजली की दर बढ़ गयी है। किसान का कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इन सारी बातों को आप केन की प्राइस फिक्स करते समय क्यों नहीं जोड़ते ? मिल से जो चीनी पैदा होती है उस की प्राइस आप कास्ट के आधार पर फिक्स करते है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार चीनी का दाम, लेवी शुगर का दाम जो फिक्स करती है उस का लिन्क केन प्राइस के साथ जोड़ने की बात क्या सरकार सोचती है?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : जो चीनी का भाव मुकर्रर किया जाता है उस में सब से बड़ा हिस्सा केन प्राइस का होता है। जो खर्चा कारखाने के अन्दर केन को शुगर में तब्दील करने में होता है, वही नहीं होता, कास्ट आफ प्रोडक्शन में सब से बड़ा हिस्सा शुगरकेन की कीमत का होता है।

**श्री रामानन्द यादव** : शुगरकेन की प्राइस लकड़ी से भी कम है।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : साढ़े 12 रुपये क्विन्टल शुगरकेन की प्राइस रखी है तब भी हाई कोर्ट्स ने कई जगह आर्डर दिये है कि यह भाव सरकार ने ठीक मुकर्रर नहीं किया है। यह तो इन्टरिम आर्डर है, फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अगर आनरेबिल मेम्बर की बात मान ली जाये और शुगरकेन का दाम किसानों को और बढ़ा कर दिया जाय तो कास्ट आफ प्रोडक्शन और बढ़ जायेगी तो फिर लाजिमी तौर पर मिलमालिकों का यह हक बन जायेगा कि वे सरकार से चीनी की कीमत ज्यादा वसूल करें।

**श्री रामानन्द यादव** : किसान को फिर रिम्यूनरेटिव प्राइस क्यो नही मिलती ?

**श्री प्रकाश मेहरोत्रा** : मान्यवर, कुछ महीनों से शुगर बडी दुलर्भ हो गयी है इस मुल्क में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि 271 मिलें ऐसी है कि जो लेवी प्राइस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चली गयी हैं। तो लेवी शुगर का यह हाल है। फ्री शुगर 8 रुपये किलो में मुल्क में मिल रही है। आज यह स्थिति है। गन्ने की प्राइस उन्होंने बतलायी कि जो 12.50 हम देते है उस से कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना बढ गया है और अगर और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा बढ़ जायगा। एक तरफ यह चित्र माननीय मंत्री जी ने दिया और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि 2/3 गन्ना गुड और खंडसारी में जाता है और 1/3 गन्ना मिले पेरती है। तो जो 2/3 गन्ना है उस पर किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण नही है। देश मे जो अव्यवस्था है उसका कारण यह है कि कोई इंटीग्रेटेड पालिसी गवर्नमेंट की नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई इंटीग्रेटेड पालिसी, जिस में गुड़, खडसारी, गन्ना, शुगर, मिल और केन प्राइस इन सब चीजों को ले कर वह कोई नयी पालिसी तय करने वाले हैं?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मौजूदा पालिसी भी सरकार की इंटीग्रेटेड पालिसी है। खंडसारी और गुड़ भी मिठाई के काम आता है और उसे बनाने की इजाजत अभी तक किसानों को दी गयी है और छोटी खंडसारी मिलों के लिये अभी तक कोई पाबन्दी नहीं लगी थी। लेकिन अब हमने उन पर भी पाबन्दी लगाने की बात सोचना शुरू कर दिया है। जैसा कि बतलाया गया है--आनरेबिल मेम्बर्स को मालूम होगा कि खंडसारी मिलों का भी हमने स्टाक लिमिट कर दिया है ताकि वह ज्यादा चीनी जमा न कर सकें और वह बाजार में आ जाये। अगर खंडसारी बन कर छोटे लोगों को मिलती है आम तौर पर कम आमदनी वाले अगर गुड़ या खंडसारी सस्ती ले सकें तो उस से चीनी पर दबाव कम रहता है और उस की कीमतें कंट्रोल करने में आसानी रहती है और यह हाई कोर्ट में जो रिट हुए हैं वह कोई नये नहीं हैं। 1971 से जब से डुएल प्राइस पालिसी लागू हुई--बीच बीच में थोड़े अरसे के लिये वह हटा दी गयी--उस वक्त से रिट चलते रहे हैं। 1972-73 से ले कर आज तक 811 के करीब रिट तो आरिजिनल कोर्टस में हैं और अपील में लोग गये है सुप्रीम कोर्ट में 296 रिट पेंडिंग हैं जिस में 1972-73 के रिट अभी तक चल रहे हैं। तो जो सुझाव आनरेबिल मेम्बर ने दिया है कि कोई नयी पालिसी बनायी जाये उस के मुताल्लिक मैं समझता हूं कि अभी तो इस चीज की जरूरत नहीं महसूस हो रही है क्योंकि हम समझते हैं कि गन्ने की पैदावार इस साल में अच्छी हो जायेगी मालिक की मेहरबानी से। बारिश अच्छी हो गयी है और गन्ने की काश्त भी काफी हुई है और चीनी की पदावार अगले साल इतनी बढ़ने की उम्मीद है कि हमें दिक्कत नहीं आयेगी।

**श्री रामेश्वर सिंह** : श्रीमन्, रामानन्द यादव जी और मेहरोत्रा जी ने भी इस बात को कबूल किया है कि सरकार की तरफ से कानून में कोई लकूना ऐसा जरूर बाकी है जिस के चलते मिल मालिक दाम बढ़ा लेते हैं। तो क्या मंत्री जी हम को बतलायेंगे कि पिछले लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो दो रुपये चार आना किलो चीनी बिकती थी और लोक दल की जब सरकार बनी तो दो रुपये 12 आने चीनी बिकती थी और आज 9 रुपये और दस रुपये तक चीनी बिक रही है। तो क्या यह 5 गुना जो बढोतरी हुई है उस के लिये सरकार बतायेगी कि उस ने चुनाव में मिल मालिकों से डेढ़ करोड़ रुपया लिया है और उस का इस्तेमाल किया है जिस की वजह से यह चीनी का दाम बढ़ा है।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : जनाबवाला, जो दिक्कतें आज चीनी के मामले में है उनका बीज जनता सरकार का बोया हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने अचानक पाबन्दी आयद की और पहले से उस का शोर मच गया, मिल मालिको ने अपना स्टाक छिपा दिया। अपनी किताबों के अंदर कुछ से कुछ लिख दिया और सारी चीनी गायब कर दी। आप ने मालिकों से एक करोड़ रुपया लेने की बात कही। किसी सरकार द्वारा तो वह उसी सरकार का काम हो सकता है जिन्होंने वह सारी चीनी गायब करा दी, अंडर ग्राउन्ड भिजवा दी। उस से इस सरकार का कोई ताल्लुक नही है।

**श्री रामेश्वर सिंह** : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मंत्री जी ने जो कहा है मैंने वह नही पूछा था। मंत्री जी से मैंने यह सवाल पूछा था कि जनता पार्टी की सरकार में चीनी की जो कीमत

थी, लोक दल की सरकार में जो कीमत थी उससे आज जो कीमत बढ़ी है क्या वह कांग्रेस (आई) की सरकार ने नहीं बढ़ाई है? यह जो मूल्य वृद्धि हुई है यह आपकी सरकार ने की है। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा था कि क्या डेढ़ करोड़ रुपया मिल मालिकों से लेकर ऐसा समझौता नहीं किया और कानून में कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इस देश में मूल्य में वृद्धि हुई है और जिसके बारे में अभी यादव जी ने और मेहरोत्रा जी ने भी पूछा है....
(*Interruptions*)

**श्री पीलू मोदी**: यह कह दें कि डेढ़ करोड़ रुपया नहीं पौने दो करोड़ रुपया लिया है। He is entitled to do that.

MR. CHAIRMAN: The answer is obvious.

**श्री रामेश्वर सिंह**: यह सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप डिनाई भी नहीं करते हैं। इससे जाहिर होता है कि आपने पैसा लिया है.. (*Interruptions*)

**राव बीरेन्द्र सिंह**: उत्तर तो मैंने दे दिया है। अगर आप मेहरबानी करते हैं कि वह बार-बार वही सवाल पूछते जायें और मुझे जवाब देना पड़े तो मैं जवाब देने को तयार हूं। मेरा कहना है कि दिसम्बर, 79 में लुएल प्राइस पालिसी जनता सरकार ने तय की..(*Interruptions*)

**श्री सुरेन्द्र मोहन**: दिसम्बर, 1979 में जनता सरकार थी नही।

**श्री रामानन्द यादव**: उसकी बच्ची थी।

**राव बीरेन्द्र सिंह**: जनता सरकार की आफ स्प्रिंग होती... (*Interruptions*)

SHRI SURENDRA MOHAN: Sir, this is the kind of ignorance of the Ministers. (*Interruptions*)

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, they do not know their own illegitimate off spring.

(*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: You are disowning your own offspring. What can we do? (*Interruptions*)

**श्री सभापति**: यह जो आप कीचड़ उछाल रहे है इससे चीनी की कीमत कम नहीं होगी। आप अगर कुछ गौर करें चीनी की कीमत कम करने पर तो उससे फायदा होगा। यहां तमाम बैठे है सब को मालूम है कीचड़ उछालने से चीनी की कीमत कम नहीं होगी... (*Interruptions*) मैं दोनों साइड को कह रहा हूं।

**श्री रामेश्वर सिंह**: अभी चीनी के दाम 15 रुपये किलो होने वाले हैं। यह जो इन्होंने मिल मालिकों से पैसा लिया है वह पैसा तो मिल मालिक निकालेंगे ही।

MR. CHAIRMAN: Just a minute. Now, this is the last question. Yes, Mr. Patel. (*Interruptions*) I think we have to stop here. This is becoming political.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I will put a pertinent question relating to sugar. You please allow me. I want to put a pertinent question.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Yes, Mr. Patel.

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, it is unfortunate that instead of tackling the problem as a problem, the Ministers are narrating the same thing parrot-like and indulging in the same repetition and the Prime Minister and the other Cabinet Ministers are doing the same thing for their own inefficiency and they are not having any control over the administration. So,

[Shri Manubhai Patel]

for everything they blame the past Janata Government. So, Sir, I am referring to their phobia, and they have no control over the administration. I would like to know whether the honourable Minister knows that there is no uniform policy for fixing the price of sugar in the different areas. In Bihar, where the cost of production is a little low, they are giving a higher price for sugar. In Gujarat, where the cost price is very high, they are giving a low price and there is a very great difference. Now, is there any uniform policy? I would like to know whether there are certain norms for fixing the price taking into consideration the cost of production and also for fixing the price uniformly all over the country.

RAO BIRENDRA SINGH: It is not possible to fix the price uniformly because the honourable Member knows —he has himself admitted—that the cost of production varies from zone to zone in various parts of the country and the country has been divided into different zones.

SHRI MANUBHAI PATEL: I said 'uniformly'. It should be linked up with the cost of production. It should be uniform according to the cost of production.

MR. CHAIRMAN: The statement of the hon. Member was that where the cost of production is more, the price has been fixed low and where the cost of production is low, the price fixed is high. Is there any uniform norm for fixing the price? I think this is the question.

RAO BIRENDRA SINGH: All factors have been taken into consideration. The cost of production has been calculated on fixed norms, and on a sound basis. I can give you figures if the hon. Member likes. In Punjab the cost of production was taken to be Rs. 256.10; in Assam it was Rs. 265.41 because definitely it is higher there. Similarly, in Bihar also it is very high. In North Bihar it is Rs. 278.14. Again in South Bihar it is Rs. 306.19. There is difference between North and South Bihar.... (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: It is because of political patronage... (*Interruptions*)

RAO BIRENDRA SINGH: Industrial cost has also been taken into consideration. They were also consulted. The matter has again been referred to them. The Government does not arbitrarily fix these prices... (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: It is totally wrong. There has been complete ignorance of ... (*Interruptions*). They have been ignored .... (*Interruptions*)

RAO BIRENDRA SINGH: The matter has been referred to them again. It has not been fixed arbitrarily. All factors have been fully considered.

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, I seek your protection. My question is not fully replied to. I had asked whether there are any norms and he was not prepared to reply regarding the norms. He was saying that the cost of production varies from State to State. My question was whether the price is linked up with the cost of production which varies from State to State. (*Interruptions*) He confesses that the cost of production varies from State to State. My question was whether the price is linked up with that. He did not reply.

MR. CHAIRMAN: I think the hon. Minister did say that there are norms which are laid down.. (*Interruptions*). Just a minute. You are saying that the norms have not been followed; that is all that there has been no regular fixing of price. The hon. Minister's view is different; that is all.... (*Interruptions*).

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I challenge him to prove .... (*Interruptions*).

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY Sir..... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: The question originated there. There have been four questions asked.... (*Interruptions*)

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: He is a sugar magnate. I want to reply to him .... *(Interruptions)*

SHRI M. R. SHERVANI: Is it a fact that against the price of Rs. 12.50 per quintal fixed by the Government the Mills have paid Rs. 16, Rs. 18 and more per quintal and they have not even then got full supplies last year? This is number one. Secondly, is it a fact that the consumer price of sugar in India today is the cheapest in the world?

RAO BIRENDRA SINGH: For the benefit of the poor sections of the society the Government of India is meeting a huge expenditure on account of subsidy for sugar. It is about Rs. 285; it is the cheapest in the world —no doubt about it. If the hon. Member wants to plead the cause of sugar mill-owners, I can only say that the cane price is the minimum support price that is assured to the farmers. If, in the supply and demand position prevailing in a particular area, the mill-owners want to pay more and the farmers can get more, the Government has got no way of stopping it.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I want to put one question.

MR. CHAIRMAN: I am afraid the subject is too large for eliciting answers now.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Sir, a sugar magnate has put a question. A labourers representative should also get an opportunity to put a question. Sir, with your kind permission. I should be allowed to put a question.

MR. CHAIRMAN: Does the House want to be only bogged down with sugar or does it want to proceed further? I don't mind....

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: They are pleading their case. Let the poor people's representative also put a question. Let me also put a question.

SHRI S. W. DHABE: Sir, for half an hour, we are discussing this. You must limit the time. There are other important questions also.

MR. CHAIRMAN: I am going to stop this now.

SHRI PILOO MODY: Sir, I hope you are not drawing a distinction between rich Members and poor Members.

MR CHAIRMAN: I am not. This matter cannot be thrashed out by questions and answers.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, let there be a half-an-hour discussion on this. Sir, all sections of the House seem to be interested in this question. So, let there be a half-an-hour discussion on this.

MR. CHAIRMAN: I agree. This is a matter on which we will have a half-an-hour discussion. Now question No. 2.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Sir, this is a very important point. Sugar is selling at Rs. 8 per kilo.

MR. CHAIRMAN: I know it.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: This is a very important point. Therefore, Sir, half-an-hour discussion should be allowed on this point.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have allowed half-an-hour discussion on sugar. It will be on some day...

RAO BIRENDRA SINGH: Sir....

MR. CHAIRMAN: I know, Mr. Minister, and yet your side is raising ten hands. Now, question No. 2.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I wish to record on this question the point how the labourers' representative cannot put questions and the sugar magnates are allowed to put questions. Sir, you allow me to put

a question now, and then a half-an-hour discussion can take place. (*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, a sugar magnate has put a question and tried to mislead the House. Should I sit down here because I am a back-bencher? Sir, don't feel that I am a back-bencher. I was a Member of Parliament; I was a Member of an Assembly. I am sorry, Sir, you have given an opportunity to the other side to put a supplementary. A Member from that side has been allowed whereas I am sitting here and raising my voice and I am not allowed to...

MR. CHAIRMAN: All right, you put your question. But I would not allow more than a minute.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Sir, I want to know whether it is a fact or not that the Bhargava Committee has made certain recommendations about the cost of sugar. Sir, if you see the production and consumption figures, you will find that production has gone up to 58 lakh tonnes last year, whereas the consumption has gone up to 60 lakh tonnes or more than that. Sir, about 40 lakh tonnes of sugar is in the black-market, and they are fleecing hundreds of crores of rupees of this nation, of the consumers, of the cane-growers, of the labourers, and now they have gone in a writ petition and say that they should get the price.

AN HON. MEMBER: What is the question, Sir?

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I want to know from the Government whether they will think over all these things while coming to a decision on the price and cost of sugar.

SHRI PILOO MODY: Now, you have got your share.

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : सभापति महोदय, यह कैसे होगा जब आपने एक दूसरा प्रश्न पुकार दिया, आगे का प्रश्न आपने ले लिया (*Interruptions*) प्वाइंट आफ आर्डर ...

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. If an hon. Member speaks when I am standing, my instructions to the reporters are to completely black out what he says. This is a standing instruction.

SHRI PILOO MODY: What happens if the Papers are laid on the Table?

MR. CHAIRMAN: You will be blacked out.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, the Government have taken effective steps from time to time to control the prices of sugar and we have been successful to a very large extent. Even when we feared that sugar prices would go very high, we kept them under check. But the implementation by States of the Central Government's order depends upon the State Government. They take the dehoarding measures. There might still be some sugar, I do not deny it, what the hon. Member has said of our levy sugar also may be finding its way to free market. Some of the sugar from the stocks of wholesalers and even factory owners may also have gone underground. But we are taking steps to find out where it is hidden and the States have again been instructed to take very stringent measures and to undertake the dehoarding drive incessantly. There should be no let up. We are trying to do our best.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir...

MR. CHAIRMAN: I have just now given a ruling. You won't be recorded. I have permitted a half-an-hour discussion at the request of Mr. Advani and others and I think the matter may stop here now.

**श्री रामेश्वर सिंह** : इसका समय बढ़ा दीजिये। कम से कम एक घंटा डिसकशन कराइये ।

**श्री सभापति** : चैम्बर में कहिए, मैं करूंगा ।